न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3165–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–7–2014 पारित द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2014–15/2284.

.....

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म0प्र0)

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन/भोपाल
3– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–रायसेन
4– जिला–आबकारी अधिकारी, जिला–शाजापुर
5– जिला–आबकारी अधिकारी, सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

.....प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी,
श्री अनिल श्रीवास्तव, पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06 जनवरी 2016 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यु नियमों के पैरा (2) सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला आबकारी अधिकारी, शाजापुर ने उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन के पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1040 दिनांक 25–5–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1296 दिनांक 12–7–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1455 दिनांक 3–8–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1551 दिनांक 24–8–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1755 दिनांक 24–9–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/1900 दिनांक 12–10–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/2262 दिनांक 18–12–2012, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/10 दिनांक 03–1–2013, पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/423 दिनांक 27–2–2013 एवं पत्र क्रमांक आब0/ठेका/2012/704 दिनांक 10–4–2013 से अवगत कराया कि मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के अनुसार मद्यभाण्डार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है। मद्यभाण्डागार शाजापुर में माह अप्रैल से जुलाई 2012 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। जिसके कारण माह अगस्त 2012 में मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मद्यभाण्डागार शुजालपुर में माह अप्रेल से सितम्बर, नवम्बर एवं दिसंबर 2012 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। मद्यभाण्डागार सुसनेर में माह दिसंबर 2012 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। मद्यभाण्डागार आगर में माह अप्रेल से जून, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013 में भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। उपरोक्त त्रुटियों एवं अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0 सेहतगंज, जिला–रायसेन को

उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2013–14/2094 दिनांक 03–7–2013 के जरिये कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब मेसर्स सोम डिस्टलरीज द्वारा दिनांक 08–6–2013 को प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 14–7–2014 को आदेश पारित कर सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन पाते हुये नियम 12(1) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रुपये 10,000/–(दस हजार रुपये) शास्ति आरोपित किया तथा इसके साथ ही उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकार को शाजापुर, शुजालपुर, सुसनेर एवं आगर पर माह अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 एवं फरवरी 2013 तक कुल 1 दिवस मदिरा प्रदय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से रुपये 500/– तथा उक्त आलोच्य अवधि में इन भाण्डागारों में कुल 268 दिवस केवल बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रुपये 67000/– कुल रुपये 77,500/– (रुपये सत्तर हजार सात सौ) की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया। आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब में जो आधार बताये गये थे उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से कोई विचार नहीं किया गया। आसवक को देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति वर्ष 2011–12 में कार्यालय पत्र क्रमांक 5(1)/2012–13/321 दिनांक 9–2–2012 द्वारा दी गई थी, जिसमें माह सितम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई बोतलों का संग्रह न्यूनतम स्कंध के अनुसार मदिरा का प्रदाय ईमानदारी एवं गम्भीरतापूर्वक तथा समर्पण के साथ बिना किसी शासकीय नुकसान के पूरा किया गया था। फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार मद्यभाण्डागार

शहडोल में मदिरा का प्रदाय किया गया था एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम्पनी पर जो आरोप चालानों के लंबित रहने का लगाया गया है वह निराधार है, जबकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा गया था एवं प्रदाय किया गया था यह कहना गलत है कि चालान लंबित रहने का कारण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है, बल्कि वास्तविकता यह है फुटकर लायसेंसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सकता था। अतः इस कारण शासन को किसी भी प्रकार की राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई और न ही किसी फुटकर लायेसेंसी द्वारा हुये नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से नहीं की है । इसलिये अपीलार्थी कम्पनी पर किसी भी प्रकार की कोई भी शास्ति नहीं लगायी जा सकत है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए0आई0आर0 1980 सुप्रीमत कोर्ट 346, ए0आई0आर0 1985 सुप्रीम कोर्ट 285, ए0आई0आर0 1990 एवं सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये है जिन पर विचार किये बिना एवं अपीलार्थी कम्पनी के कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी कम्पनी पर चालानों के लंबित रहने का आरोप लगाया है वह निराधार है जबकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा एवं प्रदाय किया था। यह कहना कि चालान लंबित रहने का कारण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है बल्कि वास्तविकता यह है कि फुटकर लायसेंसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सका था। इस कारण शासन को किसी भी प्रकार राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई और नही किसी फुटकर लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से नहीं की है। ए.आई.आर 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955

एवं ए.आई.आर 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर किसी प्रकार की कोई शास्ति नहीं लगायी जा सकती। राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। इसलिए प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सती। यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी कम्पनी पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण प्रकरण कमांक 5(1)/2010–11/2101 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2011 से शास्ति रूपये 6,48,000/– एवं एक मुस्त राशि 50,000/– रूपये लगाई थी जिसके संबंधमें राजस्व मण्डल के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 1010–पीबीआर/2011 प्रस्तुत की गई थी जो पारित आदेश दिनांक 05–1–2013 से स्वीकार कर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश दिनांक 20–6–2011 अपास्त किया था इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष डब्लू.पी. कमांक 10997/2013 प्रस्तुत की गई थी। जो पारित आदेश दिनांक 01–7–2013 से निरस्त हुयी थी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्पेशल लीप टू अपील प्रकरण कमांक 7535/2014 प्रस्तुत की थी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–15 से निरस्त कर दी गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय माननीय न्यायालय पर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आसवानी बोतल भराई एवं भण्डागार नियम के प्रावधानों के अनुसार आसवक के पूर्ण जोखिम व उत्तरदायित्व पर मदिरा अन्य स्त्रोंतों से प्रात की गई थी अन्य स्त्रोतों से मदिरा प्राप्त करने पर हुआ व्यय की प्रतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व

आसवक का ही था। अतः अपील निरस्त की जाये। यह भी तर्क किया कि आबकारी आयुक्त के पत्र कमांक 5(1)/2012–13/321 दिनांक 9–2–2012 के जरिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर मद्यभाण्डागार में बोतलों का संग्रह निर्धारित स्कंध के अनुसार नहीं रखने के कारण फुटकर ठेकेदारों की मांग अनुसार प्रदाय देने में विलम्ब हुआ तथा दिनांक 14–7–2014 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद 77500/– वसूली संबंधी आदेश पारित किया गया। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 14–7–2014 को आदेश पारित कर सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995(संशोधित) के उपरोक्त वर्णित नियम 3ख(10) में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये अर्थदण्ड रुपये 77,500/–(सत्ततर हजार पांच सौ रुपये) शास्ति आरोपित किया, जो विधिअनुकूल प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी किया आबाकारी आयुक्त के प्रकरण कमांक 5(1)/2010–11/2101 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2011 को इस न्यायालय से निरस्त करने एवं उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्थिर रखने संबंधी तर्क के समर्थन में अपीलार्थी अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय एवं मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है मात्र लिखित तर्क में उल्लेख किया है। अतः उक्त तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकनकिया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार जिला शाजापुर, सुसनेर, शुजालपुर एवं आगर में माह अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तथा फरवरी 2013 में भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे,

जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में किया है। अतः स्पष्ट है कि जहां अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लंघन किया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहां नियम 4(4) का उल्लंघन है वहां नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार "इन नियमों में से किसी नियम या आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिए 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।" अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से न्यूनतम संग्रह रखने में शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वरा किया गया है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का निष्कर्ष अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक अपील 187–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–15, अपील

188–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–15 एवं अपील 189–दो/2014 आदेश दिनांक 8–9–2015 में अवधारित किया गया है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 14–7–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर